

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-8/2017/

दिनांक:

--:आदेश--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	श्री विरमाराम राणा, नर्स प्रथम	जालोर	14.07.90	14.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	श्री बस्तीमल, नर्स प्रथम	जालोर	14.07.90	14.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	श्री दिलिप सिंह, नर्स प्रथम	जालोर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	श्री गणेशाराम, नर्स प्रथम	जालोर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	श्रीमती ललिता कतिजा, नर्स प्रथम	उदयपुर	21.02.86	21.02.13 27 वर्ष	9300-34800	4800
6.	श्री मोहम्मद खां, नर्स प्रथम	बाड़मेर	15.06.90	15.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	श्री लुगाराम चौधरी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	15.06.90	15.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	श्री कालूराम माली, नर्स प्रथम	बाड़मेर	14.06.90	14.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	सारम्मा सी.वी., नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	07.11.89	07.11.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	श्री हुकमाराम, नर्स प्रथम	जालोर	14.07.90	14.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	श्री हीरसिंह राजपुरोहित, नर्स प्रथम	बाड़मेर	18.06.90	18.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	श्री प्रभुराम चौधरी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	16.06.90	16.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	श्री भंवरलाल रायका, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	श्री ओमप्रकाश छीपा, नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
15.	श्री करमचंद खत्री, नर्स प्रथम	बाड़मेर	18.05.87	18.05.14 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

sd

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

5
11/11/18

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-8/2017/25

दिनांक: 10/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-उदयपुर/जोधपुर।
2. अधीक्षक, सेठ रामविलास भुवालका यक्षमा आरोग्य सदनबड़ी, उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर/बाड़मेर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आहोर (जालोर)/शिव (बाड़मेर)/तलवाड़ा (बांसवाड़ा)/शाहपुरा भीलवाड़ा/बाड़मेर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर